अनुबंध II

कोविड-19 का प्रभाव कम करने के लिए प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
	ए. भारत सरकार (जीओआई)
25 फरवरी 2020	निर्दिष्ट व्यक्तिगत/निजी सुरक्षा पोशाक (पीपीई) सहित कपड़ों और मास्क (एनबीआर दस्ताने और मेडिकल चश्मे) पर निर्यात प्रतिबंध, जबकि सर्जिकल ब्लेड, नॉन-वोवन डिस्पोजेबल शू कवर, एयरमैन, गोताखोरों और पर्वतारोहियों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले श्वसन साधन/यंत्र, गैस मास्क, तिरपाल, पीवीसी कन्वेयर बेल्ट और बायोप्सी पंच जैसे कुछ सामानों पर छूट।
3 मार्च 2020	कुछ सक्रिय भैषज घटक (एपीआई) और उनसे बनी औषधि जैसे पैरासिटामोल, एसिक्लोविर, विटामिन बी1, बी6 और बी12 के निर्यात पर प्रतिबंध।
14 मार्च 2020	राज्य आपदा प्रतिसाद निधि (एसडीआरएफ) से सहायता के लिए मानदंड जारी किए गए।
19 मार्च 2020	सर्जिकल मास्क/डिस्पोजेबल मास्क (2/3 प्लाई मास्क), वेंटिलेटर (किसी भी कृत्रिम श्वसन साधन या ऑक्सीजन इलाज या किसी अन्य श्वसन साधन/यंत्र सहित), मास्क और कवरऑल्स के लिए टेक्सटाइल के कच्चे माल के निर्यात पर प्रतिबंध।
24 मार्च 2020	• सांविधिक और अनुपालन मामलों में छूट दी गयी जैसे आयकर/जीएसटी रिटर्न प्रस्तुत करने, *विवाद से विश्वास* योजना के अंतर्गत भुगतान और विभिन्न कॉर्पोरेट मामलों, की समय सीमा बढ़ाना। • व्यापार वित्त उपभोक्ताओं के लिए डिजिटल व्यापार लेनदेन पर बैंक प्रभारों को कम कर दिया गया। • वित्तीय संकट के दौर से गुजर रहे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के खिलाफ दिवाला कार्यवाही को प्रवृत्त करने से रोकने के लिए दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) की धारा 4 के अंतर्गत चूक की प्रारंभिक सीमा को ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹1 करोड़ रुपये कर दिया गया। • डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर एटीएम से नकद आहरण के लिए लगाए जाने वाले प्रभारों में तीन महीने के लिए छूट। • सैनिटाइजर्स के निर्यात पर प्रतिबंध।
26 मार्च 2020 *(प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना)*	केंद्रीय वित्त मंत्री ने गरीबों के लिए *प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना* के अंतर्गत ₹1.70 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की ताकि उन्हें कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लड़ने में सहायता मिल सके। समर्थन उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं: • प्रति सदस्य 5 किलो गेहूं/चावल और 1 किलो दाल प्रति परिवार प्रति माह 3 महीने के लिए निशुल्क प्रदान की जाएंगी। • *जन धन* महिला खाता धारकों को तीन महीने के लिए ₹500 रुपये प्रति माह की अनुग्रह राशि दी जाएगी। • गरीब *दिव्यांग,* विधवाओं और वरिष्ठ नागरिकों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरित किए जाएंगे। • महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की मजदूरी में ₹20 रुपये की वृद्धि की जाएगी। • गरीब परिवारों को 3 माह तक गैस सिलेंडर नि:शुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। • कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को चिकित्सा बीमा प्रदान किया जाएगा। • *प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि* (पीएम-किसान) के अंतर्गत 2020-21 में देय ₹2,000 की पहली किस्त अप्रैल 2020 में उपलब्ध कराई जाएगी। • राज्य सरकारों को कोविड-19 स्वास्थ्य प्रतिसाद के लिए जिला खनिज निधि के अंतर्गत उपलब्ध निधियों का उपयोग करने का निर्देश दिया जाएगा।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
	• निर्माण श्रमिकों को सहायता प्रदान करने हेतु राज्य सरकारों को भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों के लिए कल्याण निधि का उपयोग करने का निर्देश दिया जाएगा। • महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के लिए संपार्श्विक मुक्त उधार सीमा ₹10 लाख रुपये से बढ़ाकर ₹20 लाख रुपये की जाएगी। • 100 से कम श्रमिकों वाले कम वेतन अर्जक व्यवसायों के लिए अनिवार्य कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) अंशदान, तीन महीने के लिए कर्मचारी और नियोक्ता दोनों की ओर से सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। • ईपीएफ विनियमों में संशोधन किया जाएगा ताकि खातों से 75 प्रतिशत राशि या तीन महीने की मजदूरी, जो भी कम हो, अप्रतिदेय अग्रिम लेने के लिए महामारी को कारण के रूप में शामिल किया जा सके।
28 मार्च 2020	कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कोविड-19 के कारण स्वास्थ्य आपात स्थिति को देखते हुए कृषि स्वर्ण ऋण और अन्य कृषि खातों को केसीसी खातों में बदलने की तारीखों को बढ़ाने पर ज्ञापन जारी किया।
30 मार्च 2020	• प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग ने सभी नोडल लोक शिकायत अधिकारियों और भारत सरकार के विभागों को कोविड-19 से संबंधित शिकायतों को शीघ्र निपटाने की पद्धति सूचित की। • बैंकों द्वारा दिए गए ₹3 लाख रुपये तक के सभी फसल ऋण जो 1 मार्च से 31 मई 2020 के दौरान देय हैं, के लिए बैंकों को 2 प्रतिशत ब्याज अनुदान और सभी किसानों के लिए 3 प्रतिशत त्वरित चुकौती प्रोत्साहन लाभ 31 मई 2020 तक बढ़ाया गया।
31 मार्च 2020	• कराधान और अन्य कानून (कुछ प्रावधानों में छूट) अध्यादेश 2020 में बहुतायत आर्थिक कानूनों के अनुपालन और प्रवर्तन में छूट प्रदान की गयी। • विदेश व्यापार नीति 2015-20 को एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया और निर्यात और आयात पद्धति के क्षेत्र में अन्य छूट प्रदान की गयी।
2 अप्रैल 2020	कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में मदद करने के लिए ई-एनएएम प्लेटफॉर्म की नई विशेषताएं शुरू की गईं।
3 अप्रैल 2020	राज्य सरकारों के पास उपलब्ध धन को बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि की वर्ष 2020-21 के लिए ₹11,092 करोड़ रुपये की पहली किस्त अग्रिम रूप से जारी की गयी।
4 अप्रैल 2020	• कोविड-19 महामारी प्रकोप पर 21 दिन के लॉकडाउन के संबंध में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए कई रियायत और छूट प्रदान की गयी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसान किसी भी प्रतिकूल घटना से पीड़ित न हों। कृषि उत्पादों के परिवहन को सुगम बनाने के लिए कृषि मशीनरी, इसके स्पेयर पार्ट्स (इसकी आपूर्ति श्रृंखला सहित) और मरम्मत की दुकानें तथा राजमार्गों पर ट्रक मरम्मत के लिए दुकानें, विशेषतः ईंधन पंपों पर, खुली रहने की अनुमति दी गयी। इसके अलावा बागानों सहित चाय उद्योग को अधिकतम 50 प्रतिशत श्रमिकों के साथ कार्य करने की अनुमति दी गयी। • ग्रामीण विकास मंत्रालय के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत देश के 24 राज्यों के 399 जिलों में एसएचजी सदस्यों द्वारा फेस मास्क उत्पादन शुरू किया गया। • हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन और इससे बनी औषधियों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया।
8 अप्रैल 2020	• यह घोषणा की गयी कि ₹5 लाख तक के सभी लंबित आयकर रिफंड, और सभी लंबित जीएसटी और कस्टम रिफंड तुरंत जारी किए जाएंगे, जिसकी कुल राशि ₹18,000 करोड़ रुपये है। • भारतीय रेलवे ने देश भर में आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक वस्तुओं और अन्य वस्तुओं के राष्ट्रव्यापी परिवहन के लिए समय सारणी के साथ पार्सल ट्रेनों की निर्बाध सेवाएं शुरू कीं।

प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
9 अप्रैल 2020	• राहत कार्यों के लिए गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) को नीलामी प्रक्रिया के बिना खुले बाजार योजना बिक्री दरों पर भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) से सीधे खाद्यान्न खरीदने की अनुमति दी गयी। • 'कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पांस एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेर्डनेस पैकेज' के लिए ₹15,000 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गयी। • गैर-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों को राज्य सरकारों द्वारा जारी राशन कार्ड पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा।
15 अप्रैल 2020	खराब होने वाले कृषि उत्पादों के परिवहन को सुगम बनाने के लिए तेज गति की रेलवे सुविधा, *किसान रथ* मोबाइल ऐप और अखिल भारतीय *कृषि* परिवहन कॉल सेंटर की व्यवस्था की गयी।
18 अप्रैल 2020	कोविड-19 महामारी के कारण भारतीय कंपनियों की अवसरवादी खरीद /अधिग्रहणों को रोकने के लिए मौजूदा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति में संशोधन किया गया।
13 मई 2020 (*आत्म निर्भर भारत अभियान*- भाग I)	• 100 प्रतिशत क्रेडिट गारंटी कवर के साथ ₹3 लाख करोड़ रुपये का संपार्श्विक मुक्त ऋण, मानक व्यवसायों/ एमएसएमई को प्रदान किया जाएगा। • आंशिक ऋण गारंटी सहायता के साथ ₹20,000 करोड़ रुपये गौण ऋण, अनर्जक आस्ति (एनपीए) /दबावग्रस्त एमएसएमई को प्रदान किया जाएगा। • विकासक्षम और अर्थक्षम एमएसएमई के इक्विटी वित्तपोषण के लिए ₹10,000 करोड़ रुपये राशि से निधियों का कोष बनाया जाएगा। • बड़ी संख्या में फर्मों को लाभ पहुंचाने के लिए एमएसएमई की परिभाषा में संशोधन किया जाएगा। • मेक इन इंडिया समर्थन करने और एमएसएमई के लिए ई-मार्केट संपर्कों को बढ़ाने के लिए ₹200 करोड़ रुपये तक की सरकारी खरीद के लिए वैश्विक निविदाओं को अनुमति नहीं दी जाएगी। • सरकार/केंद्र सरकार के लोक उद्यमों (सीपीएसई) से एमएसएमई को प्राप्य राशियों को 45 दिनों में जारी किया जाएगा। • पात्र व्यवसायों और कामगारों के लिए ₹2,500 करोड़ रुपये की ईपीएफ सहायता को और 3 महीने (जून से अगस्त 2020 तक) के लिए विस्तारित किया जाएगा। • अन्य व्यवसायों और कामगारों के संबंध में, हर एक के ईपीएफ अंशदान को 3 महीने के लिए घटाकर10 प्रतिशत कर दिया जाएगा, जिससे ₹6,750 करोड़ रुपये चलनिधि उपलब्ध होगी। • गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) /आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) /सुक्ष्म वित्त संस्थाओं (एमएफआई) के लिए ₹30,000 करोड़ रुपये की विशेष चलनिधि योजना शुरू की जाएगी। • आंशिक क्रेडिट गारंटी योजना को कम रेटिंग वाले एनबीएफसी/ एचएफसी/ एमएफआई के उधार को कवर करने के लिए विस्तारित किया जाएगा। • बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) में ₹90,000 करोड़ रुपये चलनिधि लगायी जाएगी। • केंद्र सरकार की विद्युत उत्पादन कंपनियां डिस्कॉम को छूट देंगी, जिसका लाभ अंतिम उपभोक्ताओं (उद्योगों) को दिया जाएगा। • स्थावर संपदा और निर्माण का दबाव कम करने के लिए उपाय किए जाएंगे, केंद्र सरकारी एजेंसियों द्वारा संविदाओं को 6 महीने तक बढ़ाया जाएगा। • स्रोत पर काटे गए कर (टीडीएस) /स्रोत पर एकत्रित कर (टीसीएस) की दरें वर्ष 2020-21 की शेष अवधि में 25 प्रतिशत कम की जाएंगी। • *विवाद से विश्वास* योजना के अंतर्गत आयकर रिटर्न फ़ाइल करने और भुगतान करने की तारीखें और आगे बढ़ाई गईं।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
14 मई 2020 (*आत्म निर्भर भारत अभियान*- भाग II)	• राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए)/राज्य कार्ड के जो लाभार्थी नहीं हैं, उन प्रवासियों को 2 महीने के लिए मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की 83 प्रतिशत आबादी को अगस्त 2020 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली लाभों की राष्ट्रीय पोर्टबिलिटी के लिए 'एक राष्ट्र एक राशन कार्ड' योजना के अंतर्गत कवर किया जाएगा (मार्च 2021 तक 100 प्रतिशत)। • प्रवासी कामगारों/शहरी गरीबों के लिए किफायती किराये के आवास परिसरों (एआरएचसी) को विकसित और प्रोत्साहित किया जाएगा। • **मुद्रा**-*शिशु* ऋणों के त्वरित भुगतान कर्ताओं को 12 महीने की अवधि के लिए 2 प्रतिशत ब्याज सहायता प्रदान की जाएगी। • फेरीवालों को ₹5,000 करोड़ रुपये की विशेष ऋण सुविधा प्रदान की जाएगी। • आवास क्षेत्र को ₹70,000 करोड़ रुपये प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए *प्रधानमंत्री आवास योजना* (पीएमएवाई)-शहरी के अंतर्गत मध्यम आय वर्ग के लिए क्रेडिट लिंक्ड आर्थिक सहायता योजना मार्च 2021 तक बढ़ायी जाएगी। • रोजगार के अवसर निर्माण करने हेतु वनीकरण और वृक्षारोपण कार्यों के लिए क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (सीएएमपीए) निधियों का उपयोग किया जाएगा। • नाबार्ड की पुनर्वित्त सहायता के माध्यम से किसानों को ₹30,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त आपातकालीन कार्यशील पूंजी वित्तपोषण प्रदान किया जाएगा। • *किसान* क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से 2.5 करोड़ किसानों को ₹2 लाख करोड़ रुपये का रियायती ऋण दिया जाएगा।
15 मई 2020 (*आत्म निर्भर भारत अभियान*- भाग III)	• फार्म-गेट और समूह स्थानों पर कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए ₹1,00,000 करोड़ रुपये की वित्तपोषण सुविधा प्रदान की जाएगी। • सूक्ष्म खाद्य उद्यमों (एमएफई) के औपचारीकरण के लिए ₹10,000 करोड़ रुपये की योजना शुरू की जाएगी। • *प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना* (पीएमएमएसवाई) के माध्यम से मत्स्य पालन उद्योग के विकास के लिए ₹20,000 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे। • डेयरी में निजी निवेश को समर्थन देने के लिए ₹15,000 करोड़ रुपये का पशुपालन इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास कोष स्थापित किया जाएगा। • औषधिक खेती और मधुमक्खी पालन की पहल को बढ़ावा दिया जाएगा। • ऑपरेशन ग्रीन, टमाटर, प्याज और आलू (टीओपी) के साथ-साथ सभी फल और सब्जियों के लिए प्रदान किया जाएगा । • कुछ खाद्य पदार्थों को अविनियमित करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में संशोधन किया जाएगा। • बिना अवरोध अंतरराज्यीय व्यापार के लिए केंद्रीय कानून बनाया जाएगा। • जोखिम कम करने, आश्वासित प्रतिफल, और गुणवत्ता मानकीकरण को शामिल करते हुए सुविधाजनक कानूनी फ्रेमवर्क बनाया जाएगा ताकि किसानों को प्रोसेसर/ एग्रीगेटर्स/ बड़े खुदरा विक्रेताओं के साथ जोड़ा जा सके।
16 मई 2020 (*आत्म निर्भर भारत अभियान* - भाग IV)	• वाणिज्यिक कोयला उत्पादन और अन्वेषण में निजी क्षेत्र की सहभागिता को अनुमति दी जाएगी; कोयला गैसीकरण / द्रवीकरण को प्रोत्साहित किया जाएगा; कारोबारी सुगमता के लिए उपाय किए जाएंगे; कोल बेड मीथेन एक्सट्रेक्शन अधिकारों की, कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की कोयला खदानों से नीलामी की जाएगी; सीआईएल के उपभोक्ताओं को वाणिज्यिक शर्तों में रियायतें दी जाएंगी।

प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
	• कोयला क्षेत्र में ₹50,000 करोड़ रुपये का इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा। • खनिज क्षेत्र में निजी निवेशों को बढ़ाने के लिए निर्बाध समग्र अन्वेषण-सह-खनन सह-उत्पादन व्यवस्था शुरू की जाएगी; 500 खनन ब्लॉकों की नीलामी की जाएगी; बॉक्साइट और कोयला खनिज ब्लॉकों की संयुक्त रूप से नीलामी की जाएगी; कैप्टिव और नॉन-कैप्टिव खानों के बीच भेद हटा दिया जाएगा; विभिन्न खनिजों के लिए खनिज सूचकांक विकसित किया जा रहा है; खनन पट्टे के लिए देय स्टांप ड्यूटी को तर्कसंगत बनाया जाएगा। • आयात पर प्रतिबंध वाले हथियारों/ प्लेटफार्मों की एक सूची अधिसूचित की जाएगी; आयातित कलपुर्जों को स्वदेशीकृत किया जाएगा; आयुध निर्माणी बोर्ड का निगमीकरण किया जाएगा; स्वचालित मार्ग के तहत रक्षा विनिर्माण में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ाकर 74 प्रतिशत किया जाएगा; समयबद्ध रक्षा खरीद प्रक्रिया शुरू की जाएगी। • हवाई क्षेत्र का कुशलतापूर्वक प्रबंधन किया जाएगा, जिससे उड़ान लागत में प्रति वर्ष ₹1,000 करोड़ रुपये की कमी आएगी; सार्वजनिक-निजी सहभागिता (पीपीपी) के माध्यम से विश्व स्तरीय हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा; • चिकित्सा आइसोटोप के उत्पादन के लिए अनुसंधान रिएक्टरों, खाद्य संरक्षण के लिए विकिरण प्रौद्योगिकी की स्थापना हेतु पीपीपी को प्रोत्साहित किया जाएगा; और प्रौद्योगिकी विकास सह इनक्यूबेशन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। • सामाजिक इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में निजी क्षेत्र के निवेश की व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण की मात्रा ₹8,100 करोड़ रुपये परिव्यय के साथ बढ़ायी जाएगी। • बिजली क्षेत्र के लिए नई टैरिफ नीति जारी की जाएगी और संघ शासित प्रदेशों में पॉवर युटिलिटिज का निजीकरण किया जाएगा। • निजी क्षेत्र को अपनी क्षमताओं में सुधार के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (आईएसआरओ) सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी; उदार भू-अंतरिक्ष डेटा नीति तकनीकी उद्यमियों को रिमोट-सेंसिंग डेटा प्रदान करेगी; ग्रहों की खोज और बाहरी अंतरिक्ष यात्रा निजी क्षेत्र के लिए खुली की जाएगी।
17 मई 2020 (*आत्म निर्भर भारत अभियान* - भाग V)	• ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को बढ़ाया जाएगा; सभी जिलों में संक्रामक रोग अस्पताल ब्लॉक स्थापित किए जाएंगे; प्रयोगशाला और निगरानी नेटवर्क को मजबूत किया जाएगा; और राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य योजना लागू की जाएगी । • प्रधानमंत्री ई-विद्या कार्यक्रम, मन:सामाजिक समर्थन के लिए *मनोदर्पण*, नए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षणिक फ्रेमवर्क, और राष्ट्रीय मूलभूत साक्षरता और न्यूमेरसी मिशन शुरू किया जाएगा। • एमएसएमई के लिए विशेष दिवाला समाधान फ्रेमवर्क अधिसूचित किया जाएगा; एक वर्ष तक कोई भी नयी दिवाला कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी; आईबीसी के अंतर्गत दिवाला कार्यवाही प्रारंभ करने के प्रयोजन के लिए जो "चूक" की परिभाषा दी गयी है उसमें कोविड-19 संबंधित ऋण शामिल नहीं किया जाएगा; निजी कंपनियां जो स्टॉक एक्सचेंज में अपरिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) सूचीबद्ध करती हैं, उन्हें सूचीबद्ध नहीं माना जाएगा; छोटी कंपनियों/ एक-व्यक्ति कंपनियों/ निर्माता कंपनियों/ स्टार्ट-अप के सभी चूक के लिए दंड कम किया जाएगा। • कंपनी अधिनियम के अंतर्गत अपराधों (तकनीकी और प्रक्रियात्मक स्वरूप की अल्प चूकों के लिए) को गैरआपराधिक माना जाएगा । • सार्वजनिक हित में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों (पीएसई) की उपस्थिति अनिवार्य होने वाले कार्यनीतिक क्षेत्रों की सूची अधिसूचित की जाएगी; कार्यनीतिक क्षेत्रों में, सरकारी क्षेत्र में कम से कम एक उद्यम रहेगा लेकिन निजी क्षेत्र को भी अनुमति दी जाएगी; अन्य क्षेत्रों में, सरकारी क्षेत्रों के उद्यमों का निजीकरण किया जाएगा; और व्यर्थ की प्रशासनिक लागत को कम करने के लिए, कार्यनीतिक क्षेत्रों में उद्यमों की संख्या केवल एक से चार होगी।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
	• वर्ष 2020-21 के लिए राज्यों की उधार सीमा सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत कर दी जाएगी, जो विशिष्ट सुधारों से आंशिक रूप से जुड़ी रहेगी तथा इससे ₹4.28 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध होंगे। • वर्ष 2020-21 के लिए मनरेगा आवंटन में ₹40,000 करोड़ रुपये की वृद्धि की जाएगी।
23 मई 2020	एमएसएमई की आर्थिक परेशानी को कम करने के लिए पूरी तरह से गारंटीकृत आपातकालीन क्रेडिट लाइन (जीईसीएल) के रूप में ₹3 लाख करोड़ रुपये तक अतिरिक्त निधि प्रदान करने के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) पर अधिसूचना जारी की गयी है। आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के अंतर्गत उधार देने वाली सदस्य संस्थाओं को दी गयी समग्र निधि राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी (एनसीजीटीसी) द्वारा 100 प्रतिशत क्रेडिट गारंटी कृत है। ₹25 करोड़ रुपये तक के बकाया ऋण वाले व्यावसायिक उद्यम/एमएसएमई सीमित अवधि के लिए इस योजना के अंतर्गत पात्र होंगे।
1 जून 2020	बैंकों द्वारा अग्रिम के रूप में कृषि सहित पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन हेतु दिए गए ₹3 लाख रुपये तक के अल्पावधि फसल ऋणों के लिए, जो 1 मार्च 2020 से 31 अगस्त 2020 के बीच देय है या देय हो जाएंगे, बैंकों को 2 प्रतिशत ब्याज अनुदान और किसानों को 3 प्रतिशत त्वरित चुकौती प्रोत्साहन (पीआरआई) के निरंतर लाभ के साथ उनकी चुकौती तिथि 31 अगस्त 2020 तक बढ़ाने पर कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने ज्ञापन जारी किया है।
12 जून 2020	छोटे कर दाताओं को विलंब शुल्क में कमी के माध्यम से जीएसटी छूट प्रदान की जाएगी, और पंजीकरण के निरसन का प्रतिसंहरण करने की मांग की अवधि में एक बार विस्तार दिया जाएगा।
20 जून 2020	*गरीब कल्याण रोजगार योजना* के अंतर्गत हाई रिवर्स माइग्रेशन का सामना कर रहे छह राज्यों में वापस लौटे प्रवासी कामगारों को 125 दिनों के लिए अतिरिक्त रोजगार देने का प्रावधान किया गया।
24 जून 2020	भारत सरकार ने " दबावग्रस्त आस्ति निधि- दबावग्रस्त एमएसएमई के लिए गौण ऋण" शुरू किया। गौण ऋण के लिए एक ऋण गारंटी योजना (सीजीएसएसडी) शुरू की गयी जिसके अंतर्गत उन एससीबी को गारंटी कवरेज प्रदान किया जाएगा जो दबावग्रस्त एमएसएमई को सहायता प्रदान करने के लिए सीजीटीएमएसई के सदस्य ऋण संस्था (एमएलआई) हैं। क्रेडिट गारंटी स्कीम का उद्देश्य बैंकों के माध्यम से दबावग्रस्त एमएसएमई के प्रवर्तकों को कारोबार में इक्विटी/ क्वासी-इक्विटी के रूप में ऋण की सुविधा प्रदान करना है।
30 जून 2020	*प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना* के अंतर्गत खाद्यान्न की निशुल्क व्यवस्था नवंबर 2020 के अंत तक बढ़ा दी गयी।
	बी. भारतीय रिज़र्व बैंक
	मौद्रिक नीति विभाग
6 फरवरी 2020	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) को 31 जनवरी 2020 से 31 जुलाई 2020 के दौरान ऑटोमोबाइल, रिहायशी आवास और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को खुदरा ऋण के रूप में दी गयी वृद्धिशील ऋण राशि के समतुल्य राशि को 5 वर्ष (ऋण देने की तारीख या ऋण की अवधि से, जो भी पहले हो) की अवधि के लिए, आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) में छूट।
27 मार्च 2020	• मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने अप्रैल 2020 में आयोजित होने वाली अपनी बैठक पहले ही मार्च में आयोजित कर दी और नीति रेपो दर 75 आधार अंकों से घटाकर 4.4 प्रतिशत कर दिया। रिवर्स रेपो दर 90 आधार अंकों से घटाकर 4.0 प्रतिशत कर दिया गया जिससे एसिमेट्रिक कॉरिडॉर बन गया।[1]

[1] रिवर्स रेपो दर से संबंधित इस उपाय का उद्देश्य रिज़र्व बैंक के साथ निष्क्रिय रूप से धन जमा करना तुलनात्मक रूप से बैंकों के लिए अनाकर्षक बनाना और इसके बजाय, अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों को आगे उधार देने के लिए इन निधियों का उपयोग करना है।

प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
	• 26 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले एक वर्ष की अवधि के लिए 28 मार्च 2020 से सीआरआर 100 आधार अंकों से घटाकर एनडीटीएल के 3.0 प्रतिशत कर दिया गया है। • 28 मार्च 2020 से 90 प्रतिशत न्यूनतम दैनिक सीआरआर शेष को बनाए रखने की निर्धारित अपेक्षा को घटाकर 80 प्रतिशत कर दिया गया। यह व्यवस्था शुरू में 26 जून तक प्रदान की गयी थी जिसे अब 25 सितंबर 2020[3] तक बढ़ा दिया गया है। • 28 मार्च 2020 से सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) उधार को सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) के 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 3 प्रतिशत कर दिया गया। यह सुविधा शुरू में 30 जून 2020 तक दी गयी थी जिसे अब 30 सितंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है।
17 अप्रैल 2020	• रिवर्स रेपो दर 25 आधार अंकों से घटाकर 3.75 प्रतिशत कर दिया गया। • नाबार्ड, सिडबी और एनएचबी को कुल ₹50,000 करोड़ रुपये की विशेष पुनर्वित्त सुविधाएं प्रदान की गईं ताकि वे विभिन्न क्षेत्रों की ऋण जरूरतों को पूरा कर सकें।[5]
22 मई 2020	• एमपीसी की जून 2020 की बैठक पहले की गयी और नीति रेपो दर को 40 आधार अंको से घटाकर 4.0 प्रतिशत कर दिया गया। • रिवर्स रेपो दर को 40 आधार अंको से घटाकर 3.35 प्रतिशत किया गया। • एक्जिम बैंक को ₹15,000 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया ताकि वह अपनी विदेशी मुद्रा जरूरतों को पूरा करने के लिए अमेरिकी डॉलर स्वैप सुविधा का लाभ उठा सके। इसकी अवधि ऋण लेने की तारीख से 90 दिन है तथा अधिकतम एक वर्ष की अवधि तक इसे रोल ओवर किया जा सकता है।
वित्तीय समावेशन और विकास विभाग	
31 मार्च 2020	ब्याज सबवेंशन योजना (आईएसएस) और त्वरित चुकौती प्रोत्साहन (पीआरआई) के लिए पात्र अल्पावधि फसल ऋणों तथा सभी अल्पावधि फसल ऋणों को केसीसी ऋण में परिवर्तित करने के लिए 30 जून 2020 तक अवधि विस्तार पर परिपत्र।
4 जून 2020	वर्ष 2018-19 तथा 2019-20 के दौरान के अल्पावधि फसल ऋणों के लिए आईएसएस और पीआरआई के लिए 31 अगस्त 2020 तक अधिस्थगन अवधि के विस्तार पर परिपत्र।
वित्तीय बाजार विनियमन विभाग	
27 मार्च 2020	गैर-डेरिवेटिव बाजारों में विधिक प्रतिष्ठान अभिनिर्धारक (एलईआई) के कार्यान्वयन की समय सीमा 30 सितंबर 2020 तक बढ़ायी गयी।
3 अप्रैल 2020 के बाद 16 अप्रैल और 30 अप्रैल 2020	रिज़र्व बैंक के विनियमन के अंतर्गत विभिन्न बाजारों के लिए कारोबारी समय में संशोधन किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बाजार सहभागी अपने संसाधनों के अनुकूलन के साथ-साथ और कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए पर्याप्त जांच और नियंत्रण बनाए रखें।
18 मई 2020	विदेशी मुद्रा जोखिम की हेजिंग के निर्देशों (दिनांक 7 अप्रैल, 2020) के कार्यान्वयन की तिथि 1 जून 2020 से स्थगित कर 1 सितंबर 2020 कर दी गयी।

[2] सीआरआर में की गयी इस कमी से अतिरिक्त एसएलआर धारिता के संदर्भ के बजाय घटकों की देनदारियों के अनुपात में बैंकिंग प्रणाली में समान रूप से लगभग ₹1,37,000 करोड़ रुपये की प्राथमिक चलनिधि निर्मोचित की गयी।

[3] इस उपाय की घोषणा कर्मचारियों की सोशल डिस्टेंसिंग और उसके कारण रिपोर्टिंग अपेक्षाओं पर आने वाले दबाव के संदर्भ में बैंकों की कठिनाइयों को संज्ञान लेते हुए की गयी।

[4] देशी वित्तीय बाजारों में असाधारण अत्यधिक अस्थिरता को देखते हुए, बैंकिंग प्रणाली को राहत प्रदान करने के लिए यह घोषणा की गयी ।

[5] इसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी), सहकारी बैंकों और सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एमएफआई) के पुनर्वित्तपोषण के लिए नाबार्ड को ₹25,000 करोड़ रुपये; आगे उधार देन/पुनर्वित्त के लिए सिडबी को ₹15,000 करोड़ रुपये; और आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) को समर्थन देने के लिए एनएचबी को ₹10,000 करोड़ रुपये शामिल है। इस सुविधा के अंतर्गत आरबीआई के नीति रेपो दर पर अग्रिम दिए गए थे।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
22 मई 2020	विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) जिन्हें 24 जनवरी 2020 और 30 अप्रैल 2020 के बीच स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग (वीआरआर) योजना के अंतर्गत निवेश सीमा आवंटित की गयी थी, को उनके प्रतिबद्ध पोर्टफोलियो आकार (सीपीएस) का 75 प्रतिशत निवेश करने के लिए तीन महीने का अतिरिक्त समय दिया गया।
	वित्तीय बाजार परिचालन विभाग
6 फरवरी 2020	उत्पादक क्षेत्रों में ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए 1-3 वर्षों के लिए नीति रेपो दर पर टिकाउ चलनिधि प्रदान करने के लिए दीर्घावधि रेपो परिचालन (एलटीआरओ) की घोषणा। इस तरह का पहला एलटीआरओ 17 फरवरी 2020 को आयोजित किया गया।
12 मार्च 2020	विदेशी मुद्रा बाजार[6] को अमेरिकी डॉलर चलनिधि प्रदान करने के लिए 6 महीने के अमेरिकी डॉलर की खरीद/बिक्री स्वैप नीलामी शुरू करने का निर्णय लिया गया। इस तरह की पहली स्वैप नीलामी 16 मार्च 2020 को की गयी।
18 मार्च 2020	18 मार्च 2020 से जून 2020 तक रिज़र्व बैंक द्वारा एनडीएस-ओएम पर संचालित किए गए परिचालनों सहित ओपन मार्केट ऑपरेशन (ओएमओ) के माध्यम से ₹1,63,444 करोड़ की शुद्ध चलनिधि डाली गयी। पहली ओएमओ नीलामी 18 मार्च 2020 को की गयी।
23 मार्च 2020	₹1,00,000 करोड़ राशि के दो परिवर्ती दर रेपो की घोषणा । इसके बाद, 26 मार्च और 31 मार्च 2020 को ₹ 75,000 करोड़ के अतिरिक्त परिवर्ती दर रेपो परिचालनों का संचालन किया गया।
24 मार्च 2020	स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर्स (एसपीडी) को उपलब्ध सीमांत चलनिधि सुविधा (एसएलएफ) को अस्थायी रूप से ₹ 2,800 करोड़ से बढ़ाकर ₹10,000 करोड़ कर दिया गया।
27 मार्च 2020	लक्ष्यित दीर्घकालिक रेपो परिचालन (टीएलटीआरओ) शुरू किया गया जिसके अंतर्गत बैंकों द्वारा ली गयी चलनिधि को उनके इन बांडों में पहले से किए गए निवेश के बकाया स्तर से अतिरिक्त, निवेश ग्रेड कॉर्पोरेट बॉण्ड, वाणिज्यिक पत्र और अपरिवर्तनीय डिबेंचर में नियोजित किया जाना था। इस प्रकार की पहला टीएलटीआरओ परिचालन 27 मार्च 2020 को किया गया।
30 मार्च 2020	अंतरिम उपाय के रूप में निर्धारित दर रिवर्स रेपो और एमएसएफ परिचालन विंडो टाइमिंग का विस्तार किया गया ताकि पात्र बाजार सहभागियों को उनके चलनिधि प्रबंधन में अधिक लचीलापन प्रदान किया जा सके ।
17 अप्रैल 2020	नीति रेपो दर पर लक्षित दीर्घकालिक रेपो परिचालन (टीएलटीआरओ) 2.0 का संचालन करने का निर्णय लिया गया । बैंकों द्वारा इस योजना के अंतर्गत प्राप्त चलनिधि निवेश ग्रेड कॉर्पोरेट बॉण्ड, वाणिज्यिक पत्र और अपरिवर्तनीय डिबेंचर में नियोजित किया जाना है, जिसमें से ली गयी कुल राशि का कम से कम 50 प्रतिशत हिस्सा छोटे और मध्य आकार के एनबीएफसी और एमएफआई के लिए नियोजित करना है। इस सुविधा के अंतर्गत किए गए निवेशों को एचटीएम पोर्टफोलियो में शामिल किए जाने के लिए अनुमत कुल निवेश के 25 प्रतिशत से अधिक होने पर भी परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। इस सुविधा के अंतर्गत एक्सपोजर को भी बड़े एक्सपोजर फ्रेमवर्क के अंतर्गत नहीं गिना जाएगा। इस तरह की पहली टीएलटीआरओ 2.0 नीलामी 23 अप्रैल 2020 को की गयी।
27 अप्रैल 2020	म्यूचुअल फंडों पर चलनिधि का दबाव कम करने के लिए म्यूचुअल फंड (एसएलएफ-एमएफ) के लिए विशेष चलनिधि सुविधा (एसएलएफ-एमएफ) शुरू करने का निर्णय लिया गया। इस सुविधा के अंतर्गत बैंकों द्वारा ली गयी चलनिधि का उपयोग केवल म्यूचुअल फंडों की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। इस सुविधा के अंतर्गत प्राप्त चलनिधि एचटीएम पोर्टफोलियो में शामिल किए जाने के लिए अनुमत कुल निवेश के 25 प्रतिशत से अधिक होने पर भी, परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। इस सुविधा के अंतर्गत एक्सपोजर को भी बड़े एक्सपोजर फ्रेमवर्क (एलईएफ) के अंतर्गत नहीं गिना जाएगा। इस प्रकार की पहली एसएलएफ-एलएफ नीलामी 27 अप्रैल 2020 को की गयी।
30 अप्रैल 2020	यह निर्णय लिया गया कि एसएलएफ-एमएफ योजना के अंतर्गत घोषित विनियामक लाभों को सभी बैंकों को दिया जाए, म्यूचुअल फंड संबंधी चलनिधि जरूरतों के लिए चाहे वे रिज़र्व बैंक से धन प्राप्त करें या उपर्युक्त योजना के अंतर्गत अपने स्वयं के संसाधन से नियोजित करें।

[6] इस उपाय की घोषणा इसलिए की गयी कि कोविड-19 संक्रमण के प्रकोप के कारण विश्व के वित्तीय बाजार अत्यधिक जोखिम से बचने के लिए तीव्र बिक्री दबाव का सामना कर रहे थे।

प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
	विदेशी मुद्रा विभाग
1 अप्रैल 2020	दिनांक 31 जुलाई 2020 तक अथवा इस तिथि को निर्यात किए गए माल या सॉफ्टवेयर अथवा सेवाओं के पूर्ण निर्यात-मूल्य को दर्शाने वाली राशि की वसूली तथा भारत में उक्त राशि के प्रत्यावर्तन की मौजूदा अवधि को, निर्यात की तारीख से नौ महीने से बढ़ा कर पंद्रह महीने किया गया।
3 अप्रैल 2020	भारत सरकार के साथ परामर्श से यह निर्णय लिया गया है कि 'आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत निधि (पीएम-केयर्स फंड)' के पक्ष में अनिवासी विनिमय गृहों के माध्यम से अनिवासियों से विदेशी आवक विप्रेषण प्राप्त करने की अनुमति दी जाए। यह अनुमति इस शर्त के अधीन होगी कि प्राधिकृत व्यापारी (एडी) श्रेणी-I बैंक इन विप्रेषणों को 'पीएम- केयर्स फंड' में सीधे जमा करेंगे तथा रुपया आहरण व्यवस्था (आरडीए) के अंतर्गत दान/योगदान भेजने वाले अनिवासियों के पूर्ण ब्यौरे अपने पास बनाए रखेंगे।
22 मई 2020	31 जुलाई 2020 को अथवा उससे पूर्व किए गए आयातों के संबंध में सामान्य आयातों *अर्थात* स्वर्ण/हीरे तथा मूल्यवान रत्नों/आभूषणों के आयात को छोड़कर (उन मामलों को छोड़कर जहां कार्यनिष्पादन की गारंटी जैसे कारणों से राशि को रोककर रखा गया है) विप्रेषणों को पूर्ण करने हेतु निर्धारित समय-सीमा को शिपिंग की तारीख से छह महीनों से बढ़ा कर बारह महीने किया गया।
	विनियमन विभाग
27 मार्च 2020	• ऋण अदायगी के बोझ को कम करने के लिए और अर्थक्षम व्यवसायों की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए कुछ विनियामकीय उपायों की घोषणा की गयी। मुख्य विशेषताओं में सावधि ऋण और कार्यशील पूंजी सुविधाओं के लिए भुगतान का पुनर्निर्धारण, कार्यशील पूंजी वित्तपोषण को आसान बनाना और उपर्युक्त उपायों के कार्यान्वयन के मद्देनजर विशेष उल्लिखित खाता (एसएमए) और एनपीए के वर्गीकरण से छूट शामिल है। • पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) के 0.625 प्रतिशत के अंतिम ट्रैंच के कार्यान्वयन को 31 मार्च 2020 से आगे 30 सितंबर 2020 तक स्थगित किया गया। तदनुसार, 31 मार्च 2018 से लागू न्यूनतम पूंजी संरक्षण अनुपात 31 मार्च 2020 से आगे भी छह महीने की अवधि के लिए लागू होगा जब तक कि सीसीबी 30 सितंबर 2020 को 2.5 प्रतिशत का स्तर प्राप्त नहीं कर लेता । इसके अलावा, अतिरिक्त टिअर 1 लिखत बेमीयादी असंचयी अधिमानित शेयर तथा बेमीयादी कर्ज लिखत (पीएनसीपीएस और पीडीआई) रूपांतरण/राइट-डाउन के माध्यम से हानि के अवशोषण के लिए पूर्व-निर्धारित चेतावनी जोखिम भारित आस्तियों (आरडब्ल्यूए) के 5.5 प्रतिशत पर बना रहेगा और 30 सितंबर 2020 को जोखिम भारित आस्तियों के 6.125 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा। • 1 अप्रैल 2020 से 1 अक्टूबर 2020 तक छह महीने की अवधि के लिए निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफआर) के कार्यान्वयन को स्थगित किया गया है।
1 अप्रैल 2020	प्रतिचक्रीय पूंजी बफर (सीसीवाईबी) संकेतकों की समीक्षा और अनुभवजन्य विश्लेषण के आधार पर, यह निर्णय लिया गया कि सीसीवाईबी (5 फरवरी 2015 को जारी दिशानिर्देशों के अनुसार इसका फ्रेमवर्क, इस निर्णय कि पूर्व घोषणा के साथ स्थापित किया गया था कि जब कभी परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक हो इसे सक्रिय किया जाएगा) को एक वर्ष की अवधि या उससे पहले जैसा कि आवश्यक हो, सक्रिय नहीं किया जाएगा।
17 अप्रैल 2020	• यह निर्णय लिया गया कि उन सभी खातों के संबंध में जिनके लिए ऋण देने वाली संस्थाएं अधिस्थगन या स्थगन देने का निर्णय लेते हैं, और जो 1 मार्च 2020 को मानक थे, 90 दिन के एनपीए मानदंड में, मानक अधिस्थगन अवधि शामिल नहीं है, अर्थात 1 मार्च 2020 से 31 मई 2020 तक ऐसे सभी खातों के लिए आस्ति वर्गीकरण पर रोक लगाई जाएगी। इसी के साथ बैंकों द्वारा पर्याप्त बफर बनाए रखना और भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए पर्याप्त प्रावधान बनाए रखना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उन्हें दो तिमाहियों यानी मार्च 2020 और जून 2020 में चरणबद्ध तरीके से रोक के अंतर्गत आनेवाले ऐसे सभी खातों पर 10 प्रतिशत का उच्च प्रावधान बनाए रखना होगा । इन प्रावधानों को बाद में ऐसे खातों के वास्तविक स्लिपेज के लिए प्रावधानीकरण अपेक्षाओं के समक्ष समायोजित किया जा सकता है।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
	• 7 जून 2019 के रिज़र्व बैंक के दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण फ्रेमवर्क के अंतर्गत, वर्तमान में जो बड़े खातें चूक में हैं उनके मामले में यदि चूक की तारीख से 210 दिनों के भीतर समाधान योजना को कार्यान्वित नहीं किया गया है तो एससीबी को 20 प्रतिशत का अतिरिक्त प्रावधान रखना जरूरी है। वर्तमान अस्थिर वातावरण में दबाववग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए चुनौतियों को समझते हुए यह निर्णय लिया गया है कि समाधान योजना के लिए अवधि को 90 दिनों से बढ़ाया जाए। • अर्थव्यवस्था को समर्थन देने और अत्यधिक अनिश्चितता के माहौल में घाटे को अवशोषित करने की अपनी क्षमता को बनाए रखने के लिए बैंकों की पूंजी के संरक्षण की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया कि एससीबी अगले निर्देश तक 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष से संबंधित लाभ से आगे कोई लाभांश भुगतान नहीं करेंगे। 30 सितंबर 2020 को समाप्त तिमाही में बैंकों की वित्तीय स्थिति के आधार पर इस प्रतिबंध की समीक्षा की जाएगी। • व्यक्तिगत संस्थाओं के स्तर पर चलनिधि स्थिति को सहज बनाने के लिए, एससीबी की एलसीआर अपेक्षाओं को तत्काल प्रभाव से 100 प्रतिशत से 80 प्रतिशत किया गया। एलसीआर अपेक्षाओं को धीरे-धीरे दो चरणों में पुन:स्थापित किया जाएगा- 1 अक्टूबर 2020 तक 90 प्रतिशत और 1 अप्रैल 2021 तक 100 प्रतिशत।
29 अप्रैल 2020	कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न व्यवधानों को देखते हुए, विभिन्न विनियामकीय विवरणियां समय पर प्रस्तुत करने में आने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए विनियमित संस्थाओं द्वारा 30 जून 2020 तक प्रस्तुत की जाने वाली विनियामकीय विवरणियों की समय सीमा बढ़ायी गयी है तथा यह विवरणियां नियत तारीख से 30 दिनों तक विलंब से प्रस्तुत की जा सकती हैं। हालांकि, सांविधिक विवरणियां, अर्थात बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949; आरबीआई अधिनियम 1934 या किसी अन्य अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित विवरणी (यथा, सीआरआर /एसएलआर से संबंधित विवरणी), प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा के विस्तार की अनुमति नहीं है।
13 मई 2020	भारत सरकार द्वारा उसी दायरे और कवरेज के साथ पोत-लदानपूर्व तथा पोत-लदान के पश्चात रुपया निर्यात ऋणों के लिए ब्याज समतुल्यीकरण योजना एक और वर्ष के लिए अर्थात 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दी है और आरबीआई द्वारा उपर्युक्त योजना के अंतर्गत जारी किए गए सभी मौजूदा परिचालनगत दिशानिर्देश 31 मार्च 2021 तक लागू रहेंगे।
22 मई 2020	22 मई 2020 से बैंक दर को 40 आधार अंक घटाकर 4.65 प्रतिशत से 4.25 प्रतिशत तक संशोधित कर दिया गया है। तदनुसार, रिज़र्व अपेक्षाओं की पूर्ति में कमी होने पर सभी प्रकार की दंडात्मक ब्याज दरें भी, जो विनिर्दिष्ट रूप से बैंक दर से जुड़ी हुई हैं, कमी की अवधि के आधार पर बैंक दर और 3.0 प्रतिशत अंक (पहले के 7.65 प्रतिशत से 7.25 प्रतिशत) अथवा बैंक दर और 5.0 प्रतिशत अंक (पहले के 9.65 प्रतिशत से 9.25 प्रतिशत) संशोधित की गयी हैं।
23 मई 2020	• बाजार की आकस्मिक अनिश्चितताओं के कारण जिन कॉर्पोरेट को पूंजी बाजार से धन जुटाने में कठिनाइयां हो रही हैं और जो मुख्य रूप से बैंक फंडिंग पर निर्भर हैं, उन्हें संसाधनों के अधिक प्रवाह की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से, बृहत एक्सपोजर फ्रेमवर्क के अंतर्गत संबद्ध प्रतिपक्षकारों के समूह के प्रति बैंक के एक्सपोजर को बैंक के पात्र पूंजी आधार के 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत किया गया है। बढ़ी हुई सीमा 30 जून 2021 तक लागू रहेगी। • मार्च और अप्रैल 2020 में जारी कोविड-19 विनियामकिय पैकेज को आगे बढ़ाते हुए वास्तविक अर्थव्यवस्था में वित्तीय दबाव के संचरण को रोकने के लिए और लॉकडाउन के विस्तार के कारण लगातार आर्थिक व्यवधान पर व्यवहार्य कारोबार और परिवारों की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त उपायों की घोषणा की गयी, जिनके अंतर्गत चुकौती के दबाव में छूट देने और ऋण चुकौती के बोझ को कम करके कार्यशील पूंजी तक पहुंच में सुधार शामिल हैं। • अस्थिर वातावरण में दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान की निरंतर चुनौतियों के कारण अप्रैल 2020 के पहले के अनुदेशों के अनुसरण में, समीक्षा के बाद, 7 जून 2019 के दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण फ्रेमवर्क में निर्धारित समाधान समय सीमा को और आगे बढ़ा दिया गया। यह उन खातों के संबंध में लागू था, जो शर्तों के अधीन 1 मार्च 2020 की समीक्षा अवधि के भीतर और बाद में थे।

प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
	• निर्यातकों द्वारा उत्पाद और उगाही चक्र में जिन वास्तविक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है उन्हें कम करने के लिए 31 जुलाई 2020 तक किए गए संवितरण के लिए बैंकों द्वारा स्वीकृत पोत-लदानपूर्व तथा पोत-लदान के पश्चात के निर्यात ऋण की अधिकतम स्वीकार्य अवधि को एक वर्ष से बढ़ाकर 15 महीने किया गया है। यह 31 जुलाई 2020 तक किए गए निर्यात के संबंध में भारत में निर्यात से प्राप्त आय की उगाही और प्रत्यावर्तन की अवधि को निर्यात की तारीख से नौ महीने से बढ़ाकर 15 महीने करने की पहले ही दी गयी अनुमति के अनुक्रम में था।
21 जून 2020	एमएसएमई उधारकर्ताओं को भारत सरकार की आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के अंतर्गत दी गयी क्रेडिट सुविधाएं राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी (एनसीजीटीसी) द्वारा गारंटीकृत है तथा भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली बिना शर्त और अपरिवर्तनीय गारंटी द्वारा समर्थित हैं। इसलिए उधार देने वाली सदस्य संस्थाएं, जैसे एससीबी, (अनुसूचित आरआरबी सहित), एनबीएफसी (योजना के अंतर्गत पात्र एचएफसी सहित) और एआईएफआई को गारंटी कवरेज की सीमा तक योजना के अंतर्गत दी गयी क्रेडिट सुविधाओं पर शून्य प्रतिशत जोखिम भार आवंटित करने की अनुमति दी गयी।
	पर्यवेक्षण विभाग
16 मार्च 2020	बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को परिचालन और कारोबार निरंतरता योजनाओं के भाग के रूप में उनके द्वारा किए जाने वाले उपायों की सांकेतिक सूची के संबंध में सूचित किया गया है।
	उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग
3 अप्रैल 2020	रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों के उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण कक्ष और केंद्रीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम्स) के अंतर्गत अधीनस्थ सभी कार्यालयों को भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप कोविड-19 से संबंधित जनता की शिकायतों के त्वरित निपटान के संबंध में सूचित किया गया।
	आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग
1 अप्रैल 2020	राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों (यूटी) की डब्ल्यूएमए सीमा को 31 मार्च 2020 की मौजूदा सीमा से 30 प्रतिशत बढ़ा दिया गया, जिससे राज्य सरकारें, राजकोषीय दबाव से उबर सकें। संशोधित सीमाएं 1 अप्रैल 2020 से लागू हुईं और 30 सितंबर 2020 तक उपलब्ध होंगी।
7 अप्रैल 2020	राज्य सरकारों को उनके नकद प्रवाह के असंतुलन पर अधिक से अधिक लचीलापन प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों के लिए उपलब्ध ओवरड्राफ्ट (ओडी) योजना की समीक्षा की गयी तथा कोई भी राज्य/ संघ शासित प्रदेश के सतत ओवरड्राफ्ट में रहने की सीमा को 14 कार्य दिवसों से बढ़ाकर 21 कार्य दिवस की गयी। इसके अलावा कोई भी राज्य/संघ शासित प्रदेश की एक तिमाही में ओवरड्राफ्ट के दिवसों की संख्या 36 कार्य दिवसों से बढ़ाकर 50 कार्य दिवस कर दी गयी।
17 अप्रैल 2020	राज्यों को नियंत्रण और शमन के प्रयासों को आरंभ करने के लिए अधिक से अधिक सुविधा प्रदान करने और उनके बाजार उधार लेने की योजना को बेहतर ढंग से सक्षम करने की दृष्टि से राज्यों की डब्ल्यूएमए सीमा को 31 मार्च 2020 के स्तर से ऊपर और अधिक 60 प्रतिशत तक बढ़ाया गया। बढ़ी हुई सीमा 30 सितंबर 2020 तक उपलब्ध होगी।
20 अप्रैल 2020	भारत सरकार के परामर्श से यह निर्णय लिया गया है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 की पहली छमाही (अप्रैल 2020 से सितंबर 2020) की शेष अवधि के लिए अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) की सीमा को ₹1,20,000 करोड़ से संशोधित कर ₹2,00,000 करोड़ किया जाए।
22 मई 2020	'समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ) के गठन और प्रशासन की योजना' की समीक्षा की गयी और सीएसएफ से आहरण को नियंत्रित करने वाले नियमों में रियायत दी गयी तथा यह सुनिश्चित किया गया कि निधि में एक बड़ा कॉर्पस बरकरार रखा जाएगा।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग	
16 मार्च 2020	प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से आम जनता को यह सूचित किया गया कि चौबीसों घंटे भुगतान प्रणाली उपलब्ध है तथा सामाजिक संपर्क से बचते हुए अपने घर से भुगतान करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है।
24 मार्च 2020	विभिन्न भुगतान प्रणाली अपेक्षाओं के अनुपालन के लिए समय-सीमा को बढ़ाया गया।
4 जून 2020	भुगतान प्रणाली की विभिन्न अपेक्षाओं का अनुपालन करने के लिए भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों को प्रदान की गयी समय-सीमा को और आगे बढ़ाया।
22 जून 2020	प्राधिकृत भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों और सहभागियों को सूचित किया गया कि वे अपने उपयोगकर्ताओं को डिजिटल भुगतान के सुरक्षित और विश्वसनीय उपयोग के बारे शिक्षित करने के लिए लक्ष्यित बहुभाषी अभियान शुरू करें।